प्रेस नोट दिनांक-02.02.2021

(1). आज दिनांक 02.02.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील राजापुर में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अमित आसेरी, वनप्रभागीय अधिकारी श्री कैलाश प्रकाश, उपजिलाधिकारी राजापुर श्री राहुल विश्वकर्मा, क्षेत्राधिकारी राजापुर रामप्रकाश, प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह ,चौकी प्रभारी गनीवा श्री अजय जायसवाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में टॉप-10/हिस्ट्रीसीटर/इनामिया अपराधियों की धरपरकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में थाना बहिलपुरवा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 20000/- रुपये के इनामी अपराधी दनदन उर्फ संतराम मवासी पुत्र स्व0 हीरालाल उर्फ चैलहवा निवासी पुराना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 01 एकनाली बंदूक 12 बोर व 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह तथा उनकी टीम को आज दिनाँक 02.02.2021 को सुबह लगभग 06.00 सूचना मिली कि थाना बहिलपुरवा का वांछित एवं 20000/- रुपये का इनामी अभियुक्त दनदन उर्फ संतराम मवासी अवैध असलहे के साथ पुरानी बहिलपुरवा से ददरी जाने वाला है।

इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में पुलिस टीम पुराना बहिलपुरवा पहुंचकर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में गाड़ाबंदी करके बैठ गये अभियुक्त ने पुलिस टीम को देखा तो पुलिस टीम पर एक फायर कर दिया, जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बची, पुलिस टीम द्वारा तुरन्त पॉजीशन लेते हुए मोर्चा लिया। अभियुक्त दूसरा फायर करने ही वाला था कि पुलिस टीम ने घेरकर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 एकनाली बंदूक 12 बोर व 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर साथ अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 10/21 धारा 307 भादवि0 (पुलिस मुठभेड़) व 12/14 डीए एक्ट व मु0अ0सं0 11/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

यह अभियुक्त थाना बहिलपुरवा के मु0अ0सं0 50/2020 धारा 307/323/504/506 भादवि0 का वांछित अभियुक्त है।

इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से 20000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

बरामदगीः-

01 एकनाली बंदूक 12 बोर ,व 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह
2. वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी
3. आरक्षी रामकेश कुशवाहा
4. आरक्षी अभिषेक यादव
5. आरक्षी चालक सत्यपाल सिंह चौहान

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 02/02/2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय एवं एआरटीओ श्री सुरेश चंद्र यादव द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर के सभागार में विद्यालय के छात्र-छात्राओं, अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य यातायात जागरूकता के संबंध में संभागीय परिवहन के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में यातायात नियमों के संबंध में विस्तृत रूप से यातायात प्रभारी एवं एआरटीओ के द्वारा विचार व्यक्त किए गए तथा यातायात के नियमों के संबंध में व्यापक रूप से अवगत कराया गया। गोष्ठी में बताया गया कि आप लोग देश के

नौनिहाल हो इसीलिए आपके बीच में यह आयोजन किया गया है यहां से जाने के बाद अपने घर परिवार के तथा गांव एवं मोहल्लों के लोगों को यातायात के संबंध में बताए गए नियमों के बारे में अवगत कराकर जागरूक करें, अपने भाई बहन पिता तथा अन्य को हमेशा इस बात के लिए महसूस कराएं कि जब भी वह घर से दो पहिया वाहन लेकर चले प्रथमता हेलमेट लगाएं, क्योंकि वर्तमान समय में हेलमेट न लगाने के कारण काफी दुर्घटनाएं हो रही है, यहां तक की लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। साथ ही साथ नवनियुक्त शिक्षकों के बीच में भी यातायात के संबंध में विचार व्यक्त किए गए, उनको भी उपरोक्त नियमों के संबंध में भली-भांति अवगत कराया गया । कॉलेज के उपप्राचार्य श्री सीएल चौरसिया द्वारा भी अपने विचार अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं के बीच में व्यक्त किए गए, इनको इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि आपके घर परिवार गांव मोहल्ले में काफी लोग ऐसे होंगे जो हल्के चार पहिया वाहन तथा भारी वाहन चलाते होंगे, इनको भी आप जाकर जागरूक करें कि यह लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें नशे की हालत में एवं नींद की स्थिति में वाहन को कतई ना चलाएं निर्धारित लेन मैं ही वाहन चलाएं अत्यधिक गति से चलाते हुए अनावश्यक रूप से किसी वाहन का ओवरटेक ना करें, साथ ही साथ सभी को यातायात के संबंध में शपथ भी दिलाई गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 52/14 धारा 307 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त लवकुश पटेल पुत्र चुन्नीलाल निवासी बरुई थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा
2. आरक्षी रामकेश कुशवाहा
3. आरक्षी अभिषेक
4. महिला आरक्षी दीपिका सिंह

(ख). उ0नि0 श्री मोहम्मद असलम थाना रैपुरा तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 323/13 धारा 125 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त लल्लू पुत्र ननकू निवासी करौंदी कलां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री मोहम्मद असलम थाना रैपुरा
2. आरक्षी लाखन

(5). यूपी 112 जनपद चित्रकूट पीआरवी 2041 चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनाँक 01/02/2021 को समय 15:42 बजे इवेंट संख्या 6101 द्वारा घटनास्थल भैसौंधा पुलिया थाना भरतकूप से महिला कॉलर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे हैं। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची, तो पीआरवी कर्मियों को देखकर छेड़खानी कर रहे लड़के भागने लगे तो पीआरवी कर्मियों ने दौड़ा कर एक लड़के को पकड़ लिया। पीआरवी कर्मियों ने आरोपी लड़के बाबू यादव को लाकर थाना भरतकूप में सुपुर्द किया गया। अग्रिम कार्यवाही थाना पुलिस द्वारा की जायेगी। कॉलर ने पीआरवी कर्मियों और 112 की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना की।

पीआरवी स्टाफ

सब कमांडर – मुख्य आरक्षी रज़ा हुसैन
पायलट - hg राधेश्याम

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 01.02.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम बोड़ा पोखरी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्दी माता मंदिर, बस स्टैण्ड मऊ, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर राजकीय इण्टर कॉलेज मानिकपुर व कस्बा मानिकपुर में, एण्टी रोमियों टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुनहापुरवा में जाकर, एण्टी रोमियो थाना राजापुर द्वारा ग्राम चिल्लीराकस में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहपाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा कर्वी शहर में, एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा कर्वी शहर में बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।